



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2624/2015

आदेश सुरक्षित किया गया :07.01.2025

आदेश पारित किया गया :03.04.2025

श्रीमती भूमिका साहू पति श्री नरोत्तम साहू उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी जी-4/2, हाई कोर्ट कॉलोनी, रहंगी रोड, अचानकपुर, चकर-भाटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, द्वारा रजिस्ट्रार जनरल, बोदरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्रीमती भावना बागमारे पति श्री सुरेश कुमार बागमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-III के रूप में कार्यरत हैं।
4. श्रीमती अलका नामदेव पति श्री बिहार नामदेव द्वारा आर्य कंप्यूटर जॉब , भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पास एस. बी. आई. ए. टी. एम. मशीन गांधी चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पास वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-III के रूप में कार्यरत हैं।
5. कुमारी अनीता, पिता श्री भोलाराम द्वारा श्री रविदास इनोमेरेटर, उप निदेशक कार्यालय, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-III के रूप में कार्यरत हैं।
6. कुमारी पूनम निर्मलकर पिता श्री वेदराम निर्मलकर निवासी एच-36, नूतन कॉलोनी, सरकंडा बिलासपुर, छत्तीसगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-III के रूप में कार्यरत हैं।
7. कुमारी पूनम साहू पिता मदनलाल साहू सांसद मैक क्लाउड वेयरहाउस रोड बिलासपुर के आवास के पास, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-III के रूप में कार्यरत हैं।



8. कुमारी भारती पिता ईश्वर दयाल निवासी ग्राम एवं पोस्ट सेलुद, पुलिस थाना उतई, तहसील पाटन जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-III के रूप में कार्यरत हैं।

9. रीना निर्मलकर,, जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड-III के पद पर कार्यरत हैं।

----- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु : श्री घनश्याम कश्यप, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2/उच्च न्यायालय हेतु: श्री आयुष वर्मा, अधिवक्ता के साथ श्री सुमेश बजाज

उत्तरवादी क्रमांक 3,4,5 और 8 हेतु : श्री शिखर शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 6 हेतु : श्री राकेश कुमार झा के साथ श्री सौम्या दास, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

सीएवी आदेश

1. याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका उत्तरवादी अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) श्रेणी से सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर विचार करें, जिसमें वेतन, वरिष्ठता और वेतन वृद्धि जैसे सभी परिणामी लाभ चयनित अभ्यर्थियों के बराबर हों, जिन्हें दिनांक 08.01.2015 के आदेश के तहत नियुक्त किया गया है।

2. अभिलेखों से प्राप्त संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तरवादी/रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013-14 में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, जैसे कि स्टेनोग्राफर, अनुवादक, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक ग्रेड-III (कंप्यूटर) जिसमें सहायक ग्रेड-III के 33 पद सम्मिलित हैं, जिनमें अनारक्षित के लिए 13 पद (महिलाओं के लिए 4 और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 1), अनुसूचित जाति के लिए 4 पद (महिलाओं के लिए 1 सहित), अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद (महिलाओं के लिए 3 और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 सहित) और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद (महिलाओं के लिए 2 सहित) सम्मिलित हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 07.02.2014 थी। याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महिला श्रेणी के तहत उक्त पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने कुल 27 अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें कौशल परीक्षा/हिंदी टाइपिंग के लिए 12.5 अंक, कौशल परीक्षा/अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 13 अंक और साक्षात्कार के लिए 1.5 अंक सम्मिलित हैं, लेकिन आरक्षण नियमों के अनुचित अनुप्रयोग के कारण मेरिट में स्थान नहीं पा सकी और उक्त पद पर उसका चयन नहीं हो सका।



3. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी श्रेणीवार सूची में अनारक्षित (महिला) वर्ग द्वारा प्राप्त सर्वाधिक अंक 28.50 अंक तथा न्यूनतम अंक 26 अंक है। इसी प्रकार ओबीसी (महिला) वर्ग में 27.75 अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी को शीर्ष स्थान तथा 27.25 अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी को चयनित अभ्यर्थियों में अंतिम स्थान पर रखा गया है। उपरोक्त तथ्यात्मक आधार पर याचिकाकर्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय ने ओबीसी (महिला) अभ्यर्थी को सामान्य (महिला) वर्ग की सूची में न रखकर अवैधानिकता की है, यद्यपि उन्होंने सामान्य (महिला) वर्ग से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तथा क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं किया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 (संक्षेप में नियम, 1997) का उल्लंघन है।

4. आगे यह तर्क दिया गया है कि यदि ओबीसी (महिला) श्रेणी की दो अभ्यर्थी पूनम साहू और भारती ने क्रमशः 27.50 और 27.25 अंक प्राप्त किए हैं, जो अनीता नामदेव और पूनम निर्मलकर द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक/बराबर है, तो उन्हें सामान्य श्रेणी की सूची में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था। तदनुसार, अनीता नामदेव और पूनम निर्मलकर जो सामान्य (महिला) श्रेणी में हैं, उन्हें उत्तरवादी द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता था। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि उत्तरवादियों द्वारा कानून की सही स्थिति को लागू करके इस विसंगति को ठीक किया जाता है तो रीना निर्मलकर और वर्तमान याचिकाकर्ता का प्रकरण सहायक ग्रेड- III के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने योग्य है।

5. चूंकि रीना निर्मलकर प्रकरण में पक्षकार नहीं थीं, इसलिए याचिकाकर्ता ने रीना निर्मलकर को उत्तरवादी क्रमांक 9 के रूप में जोड़ने के लिए दिनांक 11.01.2024 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 06.03.2024 को अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि रीना निर्मलकर वर्तमान में दुर्ग में जिला न्यायालय स्थापना में सहायक ग्रेड- III के रूप में कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें उच्च न्यायालय में रोजगार पाने के लिए हितबद्ध नहीं हो सकती है, ऐसे में उन्हें प्रतीक्षा सूची क्रमांक 1 में रखा जाए, इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रार्थना की।

6. याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलिखों पर लेने के लिए आई ए. क्र. 04/2019 भी दायर किया है और 2018-19 के लिए सहायक ग्रेड- III, स्टेनोग्राफर के पद पर अनारक्षित श्रेणी की चयन सूची से संबंधित दस्तावेज भी दायर किए हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने ओबीसी श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी की सूची में सम्मिलित किया है, जिन्होंने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तरवादियों ने सही आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया है और वर्ष 2014-15 के लिए चयन प्रक्रिया, नियम, 1997 के उल्लंघन के कारण दूषित होने योग्य है, इसलिए, वह रिट याचिका में अपील के अनुसार अनुतोष पाने की हकदार है और उत्तरवादी



क्रमांक 1 और 2 को वरिष्ठता और मौद्रिक हितों सहित सभी परिणामी हितों के साथ याचिकाकर्ता के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना करें।

7. अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ** [(1992) अनुपूरक (3) एससीसी 217], आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य [(1995) 2 एससीसी 745], सौरभ यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2021) 4 एससीसी 542], भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम संदीप चौधरी एवं अन्य [(2022) 11 एससीसी 779], साधना सिंह डांगी एवं अन्य बनाम पिकी असाटी एवं अन्य [(2022) 12 एससीसी 401], दिनेश कुमार कश्यप बनाम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे [(2019) 12 एससीसी 798], कपिल कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [विशेष अपील क्रमांक 93/2023] के प्रकरण में दिए गए निर्णय का हवाला देंगे। ।

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने और असफल होने के पश्चात चयन प्रक्रिया की आलोचना नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने स्वयं चयन प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने के पश्चात संपूर्ण चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि यह अवैध है, जो विधि सम्मत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के नियम 3 के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित 30% पद क्षैतिज होंगे और कोषवार लागू होंगे। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने नियम, 1997 के तहत लाभ का दावा किया है जो महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण के लिए बनाए गए विशेष नियमों का एक समुच्चय है, इसलिए याचिकाकर्ता आरक्षण के संबंध में सामान्य सिद्धांतों का सहारा लेने की हकदार नहीं है और उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

9. उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिट याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी के क्रम क्रमांक 2 पर है, जबकि प्रतीक्षा सूची क्रमांक 1-कु. रीना निर्मलकर शुरु में प्रकरण में पक्षकार नहीं थी और उन्हें याचिका दायर करने के 9 वर्ष बीत जाने के बाद प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है, जिसे प्रतीक्षा सूची को चुनौती देने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि प्रतीक्षा सूची दिनांक 05.01.2015 को चयन सूची जारी करने के एक वर्ष बाद समाप्त हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय ने भी याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, ऐसे में महिला आरक्षण की मेरिट अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी (महिला) के रूप में मानने के निर्देश जारी करने के याचिकाकर्ता के दावे पर भी समय बीत जाने के कारण विचार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने की



हकदार नहीं है और उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने (2017) 13 एससीसी 836, 2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 4953, (2009) 3 एससीसी 227, (2013) 11 एससीसी 309 और 1987 (सप.) एससीसी 93 में दर्ज प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया।

10. उत्तरवादी क्रमांक 3, 4, 5 और 8 के विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में दिए गए तर्क को स्वीकार करते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 3, 4, 5 और 8 की नियुक्ति उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा विधिवत पालन किए गए नियम के अनुसार है। वे आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता मेरिट में स्थान नहीं पा सकी, इसलिए उसका चयन नहीं किया गया, इसलिए वह इस न्यायालय द्वारा किसी भी अनुतोष की हकदार नहीं है और रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

11. उत्तरवादी क्रमांक 6 के विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में दिए गए निवेदन को स्वीकार करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 6 की नियुक्ति विधि के अनुसार की गई है, जो उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा विधि की प्रत्येक स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात की गई है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता मेरिट में स्थान नहीं पा सकी, इसलिए उसका चयन नहीं किया गया, इसलिए वह इस न्यायालय द्वारा किसी भी अनुतोष की हकदार नहीं है और वे रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

12. इस न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक 9 को नोटिस जारी किया है, जिसकी विधिवत तामीली हो चुकी है और नोटिस की रिपोर्ट हमदस्त को भी अभिलेख में लाया गया है, लेकिन उसने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अत्यंत संतुष्टिपूर्वक अवलोकन किया है।

14. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से इस न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आए हैं:-

बिन्दु क्रमांक 1: क्या उत्तरवादियों ने क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान करके छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 का सही ढंग से पालन किया है?

बिन्दु क्रमांक 2: क्या याचिकाकर्ता इस रिट याचिका में मांगे गये अनुतोष पाने का हकदार है?

बिंदु क्रमांक 1 पर प्रस्तुति, चर्चा और निष्कर्ष



15. बिंदु क्रमांक 1 को समझने के लिए, इस न्यायालय के लिए नियम, 1997 को उद्धृत करना और उस पर विचार करना समीचीन है। उक्त नियमों के नियम 3 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“3. महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण- (1) किसी भी सेवा नियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सभी पदों का तीस प्रतिशत पद [केवल उन महिलाओं के पक्ष में जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हैं] सीधी भर्ती के स्तर पर आरक्षित रहेंगे और उक्त आरक्षण क्षैतिज और कोष्ठवार होगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उक्त नियुक्तियों में विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "क्षैतिज और कोष्ठवार" का तात्पर्य प्रत्येक श्रेणी में आरक्षण से है, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य।”

16. नियम, 1997 में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए इस न्यायालय के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की अवधारणा को संक्षेप में समझना समीचीन है, जो इस प्रकार है:-

“ऊर्ध्वाधर आरक्षण- ऊर्ध्वाधर आरक्षण आरक्षण का प्राथमिक रूप है जिसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का उत्थान करना है। इस प्रकार का आरक्षण केवल विशिष्ट समूहों पर लागू होता है और इन श्रेणियों से बाहर के व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण केवल निर्दिष्ट समूहों (एससी, एसटी, ओबीसी) पर लागू होता है। इन समूहों को सीटों या नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित किया जाता है। सामान्य श्रेणी में योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार ऊर्ध्वाधर आरक्षण कुल सीटों/नौकरियों के 50% से अधिक नहीं हो सकता है। जो अभ्यर्थी आरक्षण का दावा कर रहे हैं, वे केवल एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण अर्थात् एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

क्षैतिज आरक्षण- क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर एक उप-श्रेणी है। यह जाति-आधारित ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में वंचित व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे समूहों पर लागू होता है। क्षैतिज आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी अर्थात् एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य के भीतर लागू होता है। लाभार्थी अपनी जाति-आधारित पहचान बनाए रख सकते हैं लेकिन क्षैतिज कोटे के तहत भी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर आरक्षण के विपरीत, क्षैतिज



आरक्षण अतिरिक्त सीटें नहीं जोड़ता है बल्कि उपलब्ध कोटे के भीतर पुनर्वितरित करता है। अभ्यर्थी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आरक्षणों से लाभान्वित हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, एक एससी महिला एससी और महिला दोनों कोटे का लाभ उठा सकती है)।”।

17. ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की अवधारणा हमेशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारणीय विषय रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामनरेश @ रिकू कुशवाह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2058]** के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“10. अब तक, यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी से संबंधित कोई अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर खुली या सामान्य श्रेणी में चयनित होने का हकदार है, उसे सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चुना जाएगा और उसका चयन ऐसी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटे के विरुद्ध नहीं गिना जाएगा। इस संबंध में इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 3, और आर.के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 4 और रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई.एल. यमुल और अन्य 5 के प्रकरणों में इस न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का अवलंब लिया जा सकता है।

11. हालाँकि, सौरव यादव (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय को पहली बार इस बात पर विचार करने का अवसर मिला कि क्या इंद्रा साहनी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्धारित और उसके बाद अपनाए गए उक्त सिद्धांत क्षैतिज आरक्षण के प्रकरणों पर भी लागू होंगे। उक्त निर्णय से पहले, विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी विचार थे। इस न्यायालय ने विभिन्न पूर्व 1992 सप (3) एससीसी 217 (1995) 2 एससीसी 745: 1995 आईएनएससी 108 (1996) 3 एससीसी 253: 1996 एनएससी 258 घोषणाओं का सर्वेक्षण करने और उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए मतों पर विचार करने के बाद, इस प्रकार टिप्पणी की:

“43. अंत में, हमें यह कहना होगा कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा तमन्नाबेन अशोकभाई देसाई [तमन्नाबेन अशोकभाई देसाई बनाम शीतल अमृतलाल निशार, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2592] में अपने निर्णय के पैरा 69 में बताए गए कदम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आरक्षणों पर विचार करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए सही और उचित प्रक्रिया पर विचार करते हैं। हमारे द्वारा दिया गया उदाहरण केवल एक संभावित आयाम से संबंधित है। ऐसी कई संभावनाएं हो सकती हैं। वर्तमान उदाहरण के अनुसार भी, अनुसूचित जनजातियों के लिए ऊर्ध्वाधर कॉलम में आवंटित पहली महिला अभ्यर्थी ने सरल क्रमांक



64 की अभ्यर्थी की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त किया हो सकता है। उस स्थिति में उक्त अभ्यर्थी को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से खुला/सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे अनुसूचित जनजातियों के ऊर्ध्वाधर कॉलम में परिणामी रिक्ति हो। ऐसी रिक्ति तब अनुसूचित जनजातियों के लिए ऊर्ध्वाधर कॉलम में रिक्ति के रूप में होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति-महिला के लिए प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी के लाभ के लिए। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कदम ऐसी हर संभावना का ध्यान रखेंगे। यह सत्य है कि प्रक्रिया निर्धारित करने का काम संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि उक्त निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया निश्चित रूप से सभी दावों को संतुष्ट करेगी और किसी भी असंगति को जन्म नहीं देगी जैसा कि हमने पिछले पैरा में उजागर किया है।”

12. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, इस न्यायालय ने तमन्नाबेन अशोकभाई देसाई बनाम शीतल अमृतलाल निशार 6 के प्रकरण में अपने निर्णय के पैरा 69 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आरक्षणों पर विचार करने और उन्हें प्रभावी करने के लिए बताए गए कदमों को मंजूरी दे दी है। उक्त प्रकरण में, यह न्यायालय महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण पर विचार कर रहा था। यह देखा गया कि एक मेधावी आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर उक्त क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी का हकदार है, उसे क्षैतिज आरक्षण की उक्त सामान्य श्रेणी से एक सीट आवंटित की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे अभ्यर्थी को एससी/एसटी जैसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणी के लिए आरक्षित क्षैतिज सीट में नहीं गिना जा सकता है।

13. न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट द्वारा अपने सहमतिपूर्ण निर्णय में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी समीचीन होगा:

“66. मैं यह कहकर निष्कर्ष निकालूंगा कि आरक्षण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। इन्हें कठोर “स्लॉट” के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां अभ्यर्थी की योग्यता, जो अन्यथा उसे खुले सामान्य श्रेणी में दिखाए जाने का हकदार बनाती है, को समाप्त कर दिया जाता है, जैसा कि राज्य के तर्क को स्वीकार किए जाने पर परिणाम होगा। ऐसा करने से सांप्रदायिक आरक्षण होगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी को उनके आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित कर दिया जाएगा, इस प्रकार योग्यता को नकार दिया जाएगा। खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है, और इसमें अभ्यर्थी के लिए एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही उसे किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उपलब्ध हो या नहीं।” [बल दिया गया] 14. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विद्वान न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से देखा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को कठोर “स्लॉट” के रूप में नहीं देखा जाएगा, जहां अभ्यर्थी की योग्यता, जो अन्यथा उसे खुले सामान्य वर्ग में दिखाए जाने



का हकदार बनाती है, को समाप्त कर दिया जाता है। यह देखा गया कि ऐसा करने से, यह सांप्रदायिक आरक्षण का परिणाम होगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी को उनके आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित कर दिया जाता है, इस प्रकार योग्यता को नकार दिया जाता है। यह देखा गया कि खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है, और इसमें अभ्यर्थी को दिखाए जाने की एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उसके लिए उपलब्ध हो।

15. उक्त विचार को इस न्यायालय ने साधना सिंह डांगी एवं अन्य बनाम पिकी असाटी एवं अन्य 7 के प्रकरण में दोहराया था।

16. सौरव यादव (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि की स्थापित स्थिति और साधना सिंह डांगी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दोहराई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को विभाजित करने और अनारक्षित सीटों पर मेधावी आरक्षित श्रेणी (2022) 12 एससीसी 401: 2021 आईएनएससी 907 अभ्यर्थियों के प्रवास को प्रतिबंधित करने में उत्तरवादियों द्वारा अपनाई गई पद्धति पूरी तरह से अस्थिर है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित मेधावी अभ्यर्थी, जो अपनी योग्यता के आधार पर यूआर-जीएस कोटे के तहत चयनित होने के हकदार थे, उन्हें जीएस कोटे में खुली सीटों के विरुद्ध सीटों से वंचित कर दिया गया है।

18. इस प्रकार, उपर्युक्त विधिक स्थिति से और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि चूंकि ओबीसी (महिला) श्रेणी ने सामान्य (महिला) श्रेणी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए ओबीसी महिला अभ्यर्थी को सामान्य (महिला) श्रेणी में भेजा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप ओबीसी (महिला) श्रेणी की दो सीटें खाली हो सकती हैं। जहां तक यह विधिक तर्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है और उत्तरवादियों ने आरक्षण नियम, 1997 का अक्षरशः पालन न करके अवैधता की है, इसलिए, बिंदु क्रमांक 1 का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2 पर प्रस्तुतिकरण, चर्चा और निष्कर्ष

19. प्रकरण के अभिलेख से स्पष्ट है कि निजी उत्तरवादी उच्च न्यायालय की स्थापना में 2015 से काम कर रहे हैं और बाद में उन्हें पदोन्नत किया गया है और वे अपने जीवन में अच्छी स्थिति में हैं। ऐसे में, निजी उत्तरवादियों की नियुक्ति के आदेश को रद्द करके तयशुदा चीजों को अस्थिर करना इस न्यायालय के लिए अनुचित होगा। निजी उत्तरवादियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप न करने का एक और कारण यह है कि यह उनकी श्रुति नहीं है, बल्कि आरक्षण नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुचित आवेदन के कारण उन्हें नियुक्त किया गया है और वे 9 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। 9 वर्ष के बाद निजी उत्तरवादियों की नियुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप उचित होगा या नहीं, यह प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष



शिवनंदन सी.टी. बनाम केरल उच्च न्यायालय, [(2024) 3 एससीसी 799] के प्रकरण में विचार के लिए आया है, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

“ई. निष्कर्ष

57. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

57.1 अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों के निर्णयों को स्थिरता, पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए ताकि उन्हें मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला न कहा जा सके;

57.2 कोई व्यक्ति जो वास्तविक वैध अपेक्षा के सिद्धांत के आधार पर किसी हित या अधिकार का दावा करता है, उसे निम्नलिखित स्थापित करना होगा: (i) प्रत्याशा की विधिमान्यता; और (ii) वैध प्रत्याशा के खण्डन से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन;

57.3 एक सार्वजनिक प्राधिकरण को न्यायालय के समक्ष सुसंगत सामग्री प्रस्तुत करके वस्तुनिष्ठ रूप से यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसका निर्णय वैध अपेक्षा के दावे को विफल करने के लिए सार्वजनिक हित में था;

57.4 मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ लागू करने का केरल उच्च न्यायालय का निर्णय 1961 के नियम 2(ग)(iii) के विपरीत है।

57.5 मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक लागू करने का उच्च न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ताओं की वास्तविक वैध अपेक्षाओं को विफल करता है। यह निर्णय मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

57.6 अनुतोष के संदर्भ में, हम मानते हैं कि छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायिक सेवा में सम्मिलित करने का निर्देश देना जनहित के विपरीत होगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन लगभग छह वर्ष पहले हुआ है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। वे सभी योग्य थे और राज्य की जिला न्यायपालिका में सेवा दे रहे थे। इस स्तर पर उन्हें हटाना जनहित के विपरीत होगा। याचिकाकर्ताओं को सम्मिलित करना उन अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए नए अभ्यर्थियों को लाना होगा जो लंबे समय से न्यायिक पद पर हैं। राज्य और उसके नागरिकों को वरिष्ठ पदों पर इन अनुभवी न्यायिक अधिकारियों के लाभ से वंचित करना जनहित में नहीं होगा।”

20. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवेक कैस्थ बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [(2024) 2 एससीसी 269] के प्रकरण में पैरा 44 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-



“44. इस चरण में हमारे लिए यह भी विचारणीय है कि वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ता लगभग 10 वर्षों से न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। वे अब सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) हैं। इन न्यायिक अधिकारियों के पास अब 10 वर्षों की न्यायिक सेवा का समृद्ध अनुभव है। इसलिए, वर्तमान अपीलकर्ताओं को उनके पदों से हटाना जनहित में नहीं होगा। आम तौर पर, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, ये कारक तब मायने नहीं रखते, जब नियुक्ति ही श्रुतिपूर्ण पाई जाती है। लेकिन हम यह भी विचार करने में विफल नहीं हो सकते कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति उन अभ्यर्थियों की सूची में से की गई थी, जिन्होंने लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थी और वे मेरिट सूची में थे। दूसरे, यह किसी का प्रकरण नहीं है कि अपीलकर्ताओं को पक्षपात, भाई-भतीजावाद या किसी ऐसे कार्य के कारण नियुक्त किया गया है, जिसे दूर से भी “दोषी” कहा जा सकता है। अंत में, वे अब दस वर्षों से न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए एक विशेष प्रकरण बनता है। साम्यता जो अपीलकर्ताओं के पक्ष में झुकती है।”

21. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अनमोल कुमार तिवारी बनाम झारखंड राज्य [(2021) 5 एससीसी 424]** के प्रकरण में पैरा 10 और 11 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“10. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि यद्यपि प्रारंभ में चयन विज्ञापित पदों की 3 श्रेणियों में वरीयता के आधार पर किया गया था। बाद में पाया गया कि चयन सूची योग्यता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए थी और उसके बाद वरीयता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भूल का एहसास होने पर अधिकारियों ने चयन सूची को संशोधित किया जिसके अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई। जब तक चयन सूची को संशोधित करने और उनकी नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया गया, तब तक रिट याचिकाकर्ताओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और काफी समय तक काम किया था। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से अनुतोष दिया कि वे प्रारंभिक चयन सूची की तैयारी में की गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार नहीं थे।

11. हमारे विचारार्थ दो विवादाक हैं। पहला उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को पुनःस्थापित करने के निर्देश की सत्यता से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं को पुनःस्थापित करने का निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया कि वे अनियमित तरीके से तैयार की गई चयन सूची के लाभार्थी थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि रिट याचिकाकर्ता चयन सूची तैयार करने में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नियुक्त किया गया था और उन्होंने कुछ समय तक कार्य किया था। उच्च



न्यायालय का मानना था कि रिट याचिकाकर्ताओं को पहले से चयनित अन्य अभ्यर्थियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना पुनःस्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए। विकास प्रताप सिंह [विकास प्रताप सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2013) 14 एससीसी 494: (2013) 3 एससीसी (एलएंडएस) 100] प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई जहां इस न्यायालय ने माना कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के प्रकरण में उत्तरवादियों द्वारा की गई श्रुति के कारण अपीलकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी। चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी या अन्यथाकथन का कोई आरोप नहीं था, इसलिए उनकी सेवाओं की समाप्ति को रद्द कर दिया गया क्योंकि इससे उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए इस न्यायालय द्वारा यह भी कारण दिया गया कि अपीलकर्ताओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वे 3 वर्षों से अधिक समय से राज्य की सेवा कर रहे थे। चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं की स्थिति विकास प्रताप सिंह प्रकरण [विकास प्रताप सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2013) 14 एससीसी 494: (2013) 3 एससीसी (एलएंडएस) 100] में अपीलकर्ताओं के समान है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि रिट याचिकाकर्ता दी गई अनुतोष के हकदार हैं। इसके अलावा, अवमानना की पीडा के बावजूद, रिट याचिकाकर्ताओं को पुनःस्थापित कर दिया गया है और वे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं।”

22. अब याचिकाकर्ता को क्या अनुतोष मिलनी चाहिए। निःसंदेह, याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची का अभ्यर्थी था और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 ने विधि की गलत स्थिति लागू की है, जिसके कारण उसे चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची में रहने के लिए विवश होना पड़ा है, उपलब्ध रक्तियों को ध्यान में रखते हुए, मैं पहले से किए गए चयन और नियुक्ति को बाधित किए बिना याचिकाकर्ता को समायोजित करना उचित समझता हूं ताकि निम्नलिखित तरीके से पूरा न्याय हो सके।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे प्रकरण में, जिसमें आरक्षण नियमों का अनुचित प्रयोग किया गया है, **राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य [(2007) 8 एससीसी 785]** के प्रकरण पर विशेष रूप से विचार किया है और निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है:-

“12.....इसके अलावा सभी चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, यहां तक कि मूल दस रिट याचिकाकर्ताओं में से भी केवल सात ही हमारे समक्ष हैं। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम दिनांक 31-12-2001 की चयन सूची में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं या इसके अनुसरण में पहले से की गई नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हम केवल इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे समक्ष अपीलकर्ता अनुतोष के हकदार हैं या नहीं। हम पाते हैं कि यदि चयन सूची क्षैतिज आरक्षण को उचित रूप से लागू करके तैयार की गई होती, तो भी इस अपील में केवल अपीलकर्ता (राजेश कुमार दरिया)



और संबंधित अपील में अपीलकर्ता 3 और 6 (मोहन लाल सोनी और सुनील कुमार गुप्ता) ही चयनित होते। अन्य अपीलकर्ता चयनित होने के पात्र नहीं थे।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपलब्ध रिक्रियों को देखते हुए, हम निम्नलिखित तरीके से पूर्ण न्याय करने के लिए पहले से किए गए चयन और नियुक्तियों में कोई परिवर्तन किए बिना उन तीन अभ्यर्थियों को समायोजित करना उचित और उपयुक्त समझते हैं:

13.1. सुनील कुमार गुप्ता (सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 184 अंक) और मोहन लाल सोनी (ओबीसी अभ्यर्थी 169 अंक), जिन्हें 2001 की चयन सूची में चयनित होना चाहिए था, तथा जिन्हें महिला अभ्यर्थियों के अधिक चयन के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, उन्हें आरपीएससी द्वारा चयनित माना जाएगा। परिणामस्वरूप, उन्हें आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। हालांकि, सभी प्रयोजनों के लिए उनकी वरिष्ठता वास्तविक नियुक्ति की तिथि से ही गिनी जाएगी।”

24. चूंकि याचिकाकर्ता को आरक्षण नियम, 1997 के दोषपूर्ण अनुप्रयोग के कारण 2014 की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया गया था और महिला ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में चयनित न करने के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, इसलिए उसे उत्तरवादियों/उच्च न्यायालय द्वारा चयनित माना जाएगा।

25. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को नियुक्ति का आवश्यक पत्र जारी किया जाए। हालांकि, सभी उद्देश्यों के लिए उसकी वरिष्ठता केवल वास्तविक नियुक्ति की तिथि से ही गिनी जाएगी और उसे सहायक ग्रेड-III की वरिष्ठता सूची में नीचे रखा जाएगा और वह उस अवधि के लिए कोई पिछला वेतन पाने की हकदार नहीं होगी, जब तक उसने उच्च न्यायालय के साथ कार्य नहीं किया है।

26. परिणामस्वरूप, बिंदु क्रमांक 2 का उत्तर भी आंशिक रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जाता है, जिसमें उत्तरवादी को याचिकाकर्ता को बिना बकाया वेतन के नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

27. तदनुसार, रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सही/-

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश



(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

